



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 भाद्र 1939 (श0)

(सं0 पटना 817) पटना, वृहस्पतिवार, 7 सितम्बर 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

7 सितम्बर 2017

एस०ओ० 145, दिनांक 7 सितम्बर 2017—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा-128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, एतद् द्वारा जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर, ऐसे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए, जो माह जुलाई, 2017 के लिए देय तिथि तक, विवरणी प्ररूप जीएसटीआर-3बी दाखिल करने में विफल रहे हैं, बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-47 के प्रावधानों के अनुसार देय विलम्ब फीस अधित्यक्त करते हैं।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जी0एस0टी0/विविध-20/2017-3331)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

7 सितम्बर 2017

एस०ओ० 146, एस०ओ० 145, दिनांक 7 सितम्बर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जी0एस0टी0/विविध-20/2017-3331)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 7th September 2017

S.O. 145 dated 7th September 2017— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the G.S.T. Council, hereby waives the late fee payable under section 47 of the said Act, for all registered persons who failed to furnish the return in FORM GSTR-3B for the month of July, 2017 by due date.

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh- 20/2017-3331)]

By the order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-Principal Secretary,

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

बिहार गजट (असाधारण)817-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>